



सं : 61(1)/सि0भ0अनु0परि0 एम-42/111

दिनांक 07/1/2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

कार्य का नाम: मदनपुर खादर फेस-3, नई दिल्ली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक पक्का विद्यालय का निरीक्षण ।

Agreement No. : 37/EE/CBMD M-423/PWD/14-15

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 05.01.2015 को कार्यपालक अभियन्ता एम-423, सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता तथा ठेकेदार के साथ उपरोक्त कार्य का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

1. कार्यस्थल पर भवन सामग्री जांच के लिए स्थापित लेब में करार की पेज-104-05 पर दर्शाए गए equipments उपलब्ध नहीं थे । केवल Cube mould तथा Cube testing machine ही उपलब्ध थी । कार्यपालक अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि करार की शर्तों के अनुसार सभी test equipment कार्यस्थल लेब में होने चाहिए तथा सभी अनिवार्य टेस्ट करार की शर्तों तथा विनिर्देशों के अनुसार करवाये जाये ।
2. कार्यस्थल पर भवन सामग्री की जांच का रजिस्टर उपलब्ध नहीं था जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि कौन से टेस्ट किए गए ।
3. कार्यस्थल पर अडचन रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था जिससे यह जांचा नहीं जा सका ।
4. भवन निर्माण के लिए की गई shutering में काफी sports तिरछी है और बहुत सी स्टील की प्लेट बिना सफाई के लगायी गयी है ।
5. बीम का Reinforcement सही प्रकार से नहीं बांधा जा रहा है । अनेक स्थानों पर बीम के सरिये रिंग से काफी दूर है और सरिये बांधने के लिए प्रयोग किये जाने वाले तार की मोटाई भी सही नहीं है । सरिये तार के सिंगल बंध से बांधे जा रहे हैं जबकि यह डबल होना चाहिए
6. कार्यस्थल पर सरिये सही प्रकार से नहीं रखे गए हैं और उसे बिना किसी प्लेटफार्म के जमीन पर रखा गया है जिससे उनमें जंग लगना शुरू हो गया है ।
7. यह एक कम्पोजिट टेण्डर है और इसमें वैद्युत कार्यों के लिए एजेंन्सी को एशोसिएट करने का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

8. कार्य में प्रयोग किये जाने वाले आर.एम.सी. का रिकार्ड कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है और न ही Quality Assurance Record उपलब्ध था ।
9. करार की शर्तों के अनुसार कार्य करने का विस्तृत प्रोग्राम PRIMAVIR Software Chart कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है ।
10. चिनाई में प्रयोग किए जाने वाले ACC Blocks का नमूना उपलब्ध नहीं है । ठेकेदार को नमूना लाने के लिए कहा जाये और परीक्षण के पश्चात् ही कार्यस्थल पर सामग्री लायी जाये । इस प्रकार अन्य सामग्री के भी नमूने पहले ही अनुमोदन के लिए मंगवा लिये जाये । कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त दर्शायी गई त्रुटियों पर ध्यान दें तथा सभी रिकार्ड जांच कर अद्योहस्ताक्षरी को अगले निरीक्षण में दिखाने की व्यवस्था करें ।



अधीक्षण अभियंता

सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सि.भ.अनु.मं.एम-423,
सुखदेव विहार, नई दिल्ली ।

S/copy